राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांकः एफ 1(2) (1) आ.प्र.एवं सहा./रा.का./2009/6111-6161 जयपुर, दिनांक 17-3-010

समस्त जिला कलक्टर,
(अभावग्रस्त जिले)
राजस्थान।

विषयः— सम्वत 2066 अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अकाल प्रभावित जिलों में स्थित नगर पालिकाओं एवं नगर पालिका सीमा में जो गांव शामिल हैं उन ग्रामों में राहत कार्य दिनांक 1.4.2010 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सभी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं में लागू माना जायेगा। प्रति नगर पालिका अधिकतम 100 श्रमिक प्रतिदिन राहत कार्यो पर नियोजित किये जा सकेंगे। यह कार्य निम्नानुसार स्वीकृत किये जायेंगेः—

1. राहत कार्यो के तहत नियोजन किये जाने वाले श्रमिकों को निर्देशिका में दी गयी प्राथमिकताओं के अनुसार सभी वर्गो के लोगों को अनुपातिक रूप से रोजगार प्रति चक्र(रोटेशन से) दिया जायेगा।
2. राहत कार्यो का एक चक्र(रोटेशन) 10 दिन का होगा व प्रत्येक 10 दिन बाद पुनः नये श्रमिकों का नियोजन किया जायेगा।
3. राहत कार्य इस विभाग के मस्टररोल पर कराये जायेंगे, जो कि सम्बन्धित जिला कलक्टर्स को उपलब्ध करा दिये गये है।
4. सड़कों के किनारे बांध एवं तालाबों के कैचमेन्ट एरिया में जंगली बबूल उगते रहते हैं, इससे वर्षा के पानी की आवक रूक जाती है। इसलिए इन जंगली बबूलों को राहत कार्यों के तहत जड़ से उखाड़ने का कार्य भी किया जा सकता है।
5. इन कार्यो में सफाई के कार्य यथा नालियों की सफाई एवं अन्य खरपतवार आदि की सफाई को प्रमुखता दी जाये। स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, डिस्पेन्सरी, औषधालय भवन, सार्वजनिक कुऐं राजकीय स्कूलों की बाउन्डरी, सार्वजनिक शौचालय एवं जनउपयोगी निर्माण के कार्य भी कराये जा सकते हैं, बशर्ते कि इनमें लगने वाली समस्त सामग्री सम्बन्धित कार्यकारी अभिकरण द्वारा वहन की जाए।
6. कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा ही जारी की जायेगी। वित्तीय स्वीकृति जिला कलक्टर

को प्रेषित करने पर उन द्वारा श्रम राशि का आवंटन किया जायेगा। बाद श्रम भुगतान सम्बन्धित अभिलेख जिला कलक्टर को उपलब्ध कराने होंगे ताकि वे राशि का समायोजन कर सकें।

7. श्रम पूरक सफाई कार्यों में समस्त श्रम का भुगतान राहत मद से नकद में देय होगा।
8. एक नगर पालिका में प्रतिदिन 100 श्रमिकों से ज्यादा का नियोजन नहीं किया जायेगा।
9. 1 अप्रेल,2010 से प्रारम्भ होने वाले इन कार्यों के लिए जिला कलक्टर प्रति माह 100 श्रमिक प्रति नगरपालिका प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत होंगे।
10. नगर पालिका क्षेत्रों में ये कार्य 30 जून, 2010 तक ही चलाये जायेंगे। इस अवधि के बाद ये स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।
11. सफाई कार्यों के अतिरिक्त अन्य मरम्मत या नवीन कार्य भी कराये जा सकते हैं, परन्तु यह कार्य तय अवधि तक पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित अभिकरण द्वारा स्वयं के स्तर से पूर्ण कराया जायेगा एवं सामग्री व्यय भार संबंधित कार्यकारी अभिकरण स्वयं के स्तर से वहन करेगें। राहत मद से सामग्री व्यय अनुमत नहीं होगा, क्योंकि राहत मद से केवल श्रम व्यय ही अनुमत है।
12. इस योजना में सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया की कार्यवाही एवं श्रमिकों को भुगतान सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा ही की जायेगी।
13. श्रमिकों को भुगतान इस विभाग द्वारा निर्धारित टास्क के आधार पर ही किया जायेगा।
14. नगर पलिका द्वारा कार्य स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें क्षेत्रवार स्वीकृतियों का ब्यौरा दर्ज करना होगा एवं इसकी सूचना पाक्षिक रूप से संबंधित तहसीलदार एवं जिला कलक्टर को उपलब्ध करानी होगी।
15. श्रमिकों को नकद भुगतान नगरपालिका द्वारा मनोनीत अधिकारी के समक्ष किया जायेगा। यह भुगतान प्रत्येक चक्र समाप्ति के बाद अन्दर मियाद 10 दिन में किया जाना अनिवार्य होगा।
16. इस योजना में सम्पादित होने वाले सभी कार्य इस विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से शासित होंगे।
17. इस योजना के कार्यों का नगरपालिका में चल रहे अन्य कार्यो की तरह ही जारी मापदण्ड के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण जिला कलक्टर/तहसील स्तर पर नियुक्त प्रभारी अधिकारीगण द्वारा किया जायेगा।
18. मस्टररोल में हाजरी भरने के कार्य की जांच करने एवं मस्टररोल पारित करने हेतु आवश्यक पूर्ति नगरपालिका के तकनीकी अधिकारी/

कर्मचारी द्वारा की जायेगी तथा उसी के द्वारा मस्टररोल में किये गये कार्यों की मूल्यांकन राशि का अंकन, टास्क दर अनुसार किया जायेगा।

19. इन कार्यों में लगने वाले श्रमिक जिला कलक्टर द्वारा जारी श्रमिक सीमा अन्तर्गत नियोजित किये जायेंगे।

20. नगरपालिका के लिए निर्धारित श्रमिक सीमा से ज्यादा श्रमिकों को नियोजन नहीं किया जायेगा एवं नियोजन की निम्न प्राथमिकतायें रहेंगी:–

    (अ) बीपीएल
    (ब) अनुसूचित जाति
    (स) अनुसूचित जनजाति
    (द) विधवा एवं परित्यक्ता
    (य) ओ.बी.सी.
    (र) अन्य सामान्य श्रेणी

21. योजना में कार्यरत श्रमिकों का चयन निम्न कमेटी द्वारा किया जायेगा:–
    अध्यक्ष, नगरपालिका
    अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका
    तहसीलदार

22. कार्य समाप्ति बाद समस्त राहत कार्य अभिलेख सम्बन्धित जिला कलक्टर को जमा कराना होगा।

भवदीय

16/3/10

शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, सहायता मंत्री, राज0, जयपुर।
4 समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता।
6.. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीणविकास / वित्त / नगरीयविकास एवं आवासन, राज0, जयपुर।
7. समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी, सचिव।
8 समस्त सम्भागीय आयुक्त।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,राज. जयपुर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.1(2) (1) आ.प्र.एवं सआ / रा.का. / 2009 / 6365-91 जयपुर, दिनांक 19-03-10

जिला कलक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा,
डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर,
जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द,
सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक,प्रतापगढ़, उदयपुर।

विषयः— सम्वत 2066 अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ करने बाबत।
प्रसंगः— इस विभाग का समसंख्यक आदेश क्रमांक 6111—6161 दिनांक 17.3.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा सम्वत 2066 अन्तर्गत अभावग्रस्त जिलों के नगरपालिका क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जिन्हें अभावग्रस्त राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित किया हुआ है।

अतः कृपया तदानुसार ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

19/3/10
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, सहायता मंत्री, राज0, जयपुर।
4 समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता।
6.. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीणविकास / वित्त / नगरीयविकास एवं आवासन, राज0, जयपुर।
7. समस्त निजी सचिव, जिला प्रभारी, सचिव।
8 समस्त सम्भागीय आयुक्त।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,राज. जयपुर।

शासन उप सचिव